

प्रेषक

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2025

विषय:- स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 मनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी के साथ परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा।

2- स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 के सम्बन्ध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किन्तु यदि आवश्यक समझा जाए तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

{1} 15 अगस्त, 2025 को प्रातः 08:00 बजे सरकारी तथा गैर-सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तथा झण्डा-अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़िया बांधकर उसे फहराया जाए।

{2} इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ-निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाए तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ-साथ लोगों की परम्परागत एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव-श्रृंखला बनाने पर भी विचार किया जाए।

{3} समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास बताया जाए तथा देश के लिए शहीद हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंगों को दोहराया जाए, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देशप्रेम की भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार-गोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबन्ध-लेखन से सम्बन्धित प्रतियोगिताएं भी यथा-सम्भव आयोजित कराई जाएं। शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

{4} स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु खेल विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

{5} स्वाधीनता दिवस पर वीरों का वंदन करने के भाव के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शस्त्र सेना, पैरामिलिट्री बल, सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों, शहीदों के आश्रितों एवं पूर्व सैनिकों को माओ जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित कराया जाए।

{6} 15 अगस्त, 2025 को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी कराया जाए।

{7} प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर आधारित विकास प्रदर्शनी आयोजित कराई जाएं।

3- अपरान्ह में परम्परागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाए, जिसमें:-

{1} स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन-साधारण को यह स्मरण कराया जाए कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष करके, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता को और सशक्त बनाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जन-साधारण को बताया जाए कि सभी समुदायों के महापुरुषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाई-चारे व इंसानियत पर बल दिया है। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों के कार्यों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाए, ताकि समाज में मनुष्य और मनुष्यता का महत्व बढ़े।

{2} राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक 'राष्ट्रीय ध्वज' के महत्व के बारे में जनमानस को बताया जाए। 'हर घर तिरंगा' अभियान को पूरे जोश एवं जनसहभागिता के साथ मनाया जाए।

{3} पंथ-निरपेक्षता की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाए कि राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं। मेल-जोल से होता है, वैर-भाव से नहीं। एक-दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरुषों का आदर करने से होता है, अनादर से नहीं।

{4} इस समारोह में यदि किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बुलाया जाना सम्भव हो, तो उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया जाए।

4- 15 अगस्त, 2025 को ब्लॉक, तहसील तथा जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाए। श्रेयस्कर होगा कि इन समारोहों का आयोजन उन्हीं स्थानों पर किया जाए, जहां सन् 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन-समुदाय ने आह्लादित एवं रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था।

5- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2025 की रात्रि में सरकारी कार्यालय-भवनों तथा अन्य इमारतों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाए।

6- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए, जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं।

7- विकास सम्बन्धी शासन की प्राथमिकताओं से जन-मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए; साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए।

8- प्रदेश सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग के साथ-साथ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए 'साफ नीयत-सही विकास' के संकल्प को साकार कर रही है। प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है। मा० मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को 01 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है; इस संकल्प को पूरा करने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान, महिला, युवा तथा गरीब हैं। इनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जन सहयोग अपेक्षित है।

9- राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्न परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जनसभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाए।

10- यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। वर्तमान सरकार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना तथा स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। अतः इस कार्यक्रम का आयोजन जारी दिशा-निर्देश के अनुसार गरिमामय ढंग से किया जाए।

संलग्नक - परिशिष्ट


(एस० पी० गोयल)
मुख्य सचिव

संख्या- 17 /2025/590(1) /उन्नीस-2-2025-1061/85 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रदेश के मा० उप मुख्यमंत्री/समस्त मा०मंत्री/मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा०राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।

3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम:-

1. जनसमस्या निवारण:-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा० मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित “जनता दर्शन” में आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 29 जुलाई, 2025 तक प्राप्त कुल 5,91,98,358 संदर्भों में से 5,86,37,247 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। तहसीलों में ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा ‘थाना दिवस’ दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

2. धर्मार्थ कार्य:-

- (1) कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रुपये एक लाख प्रति श्रद्धालु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।
- (2) सिन्धी समाज के सिंधु दर्शन के तीर्थ यात्रियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 20 हजार रुपये प्रतिव्यक्ति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।
- (3) जनपद वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर गंगा नदी तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।
- (4) जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण कार्य के दृष्टिगत धर्मार्थ कार्य विभाग के वित्तीय सहयोग से जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ एवं रामपथ का निर्माण कराया गया।
- (5) जनपद गोरखपुर में भजन संध्या स्थल की स्थापना हेतु ₹0 647.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति।
- (6) वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटन हेतु भेजा गया।
- (7) जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण हेतु 17 जनवरी, 2025 के शासनादेश के तहत ₹0 1144.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

3. कानून व्यवस्था:-

- (1) प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी।
- (2) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने, प्रदेश के समस्त जनपदीय थानों में साइबर सेल/हेल्प डेस्क की स्थापना एवं क्रियाशील। हेल्पलाइन नं० 1930 का संचालन एवं NCRP पोर्टल की सहायता से 01 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2025 तक 318.14 करोड़ ₹0 की धनराशि फ्रीज/होल्ड करायी गई।
- (3) प्रदेश में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा

प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू।

(4) 112 यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोतरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण।

(5) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो स्कवायड का गठन कर 22 मार्च 2017 से 14 जुलाई 2025 तक 4,38,41,783 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 1,60,23,106 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 32,920 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही।

(6) प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन।

(7) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक््योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल का गठन।

(8) ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में 20 मार्च 2017 से 15 जुलाई, 2025 तक 238 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 9,482 घायल। 30,718 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 21,155 इनामी अपराधी हैं। 82,852 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 951 अपराधियों के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत 144 अरब 14 करोड़ 16 लाख रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।

(10) प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1,435 के विरुद्ध 818 अभियोग पंजीकृत तथा 624 की गिरफ्तारी, 359 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही, 18 के विरुद्ध एन0एस0ए0, 769 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु0 4,089 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त। साथ ही 34 माफिया व 90 सहअपराधी को सघन पैरवी कराकर दण्डित कराया गया।

(11) ऑपरेशन कन्विकशन के अंतर्गत 01 जुलाई, 2023 से 16 जुलाई, 2025 तक विभिन्न अपराधों में कुल 1,00,711 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। विभिन्न अपराधों में 69 प्रकरणों में मृत्युदण्ड, 8,425 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 1516 प्रकरणों में 20 वर्ष से अधिक सजा, 101 प्रकरणों में 15 से 19 वर्ष की सजा, 4,973 प्रकरणों में 10 से 14 वर्ष की सजा, 7,746 प्रकरणों में 05 से 09 वर्ष की सजा, 32,293 प्रकरणों में 05 वर्ष से कम की सजा।

(12) प्रदेश में 131 नये थाने, 07 महिला थानों की स्वीकृति, 86 नई पुलिस चौकी, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यूपीएसएसएफ की स्थापना, 75 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थानों की स्थापना।

(13) मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।

(14) 2,19,198 पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा कुल 1,53,537 पुलिस कर्मियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति। प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 19,839 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए

9,172 महिला बीटों का आवंटन।

(15) मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय “धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो” के अनुपालन में अभियान के अंतर्गत 1,09,437 लाउड स्पीकर हटवाये गये तथा 1,65,515 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

(16) यू0पी0-112 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 08 जुलाई, 2025 तक त्वरित आपातकालीन सहायता के तहत 5,90,74,632 आपात सहायता इवेंट तैयार कराकर उन्हें आपात सहायता प्रदान की गई। यूपी-112 का रिस्पॉंस टाइम वर्तमान में 06 मिनट 53 सेकेण्ड है।

(17) महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यू0पी0-112 द्वारा पूरे प्रदेश में 283 महिला पीआरवी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

(18) प्रदेश की आम जनता से प्रभावी संवाद हेतु c-plan app से 20,16,042 सदस्य जोड़े जा चुके हैं।

(19) 12 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।

(20) जन जागरूकता अभियान तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु 05 लाख डिजिटल वॉलन्टियर को चिन्हित करके डिजिटल माध्यम से सक्रिय किया गया।

(21) ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 10 जुलाई 2023 से अब तक 13,32,720 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित कुल 7,894 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

4. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले:-

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से माह जून 2025 तक कुल 19 किस्तों में 2.88 करोड़ कृषकों को कुल ₹0 85315.96 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की गयी।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल 60.63 लाख बीमित कृषकों को ₹0 4961.06 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान।

(3) खेत तालाब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह जून 2025 तक 31,924 खेत-तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण।

(4) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अन्तर्गत जून 2025 तक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 86,032 सोलर पम्पों की स्थापना।

(5) प्रदेश के समस्त जनपदों में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत 1,886 क्लस्टर के 94,300 हे0 क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में 23,500 हे0 क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। वर्ष 2025-26 में 127180 हे0 क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित।

(6) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जून, 2025 तक 9.75 लाख कुन्तल बीज वितरित। उत्पादन बढ़ोत्तरी हेतु वर्ष 2023-24 से माह जून 2025 तक 14.37 लाख तिलहन एवं 4.83 लाख दलहन बीज मिनीकिट वितरित।

(7) वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जून, 2025 तक ₹0 14979.88 करोड़ फसली ऋण

वितरित। वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जून, 2025 तक 12.19 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।

(8) वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह जून 2025 तक 741.90 लाख मी०टन उर्वरकों का वितरण। वर्ष 2025-26 में माह जून 2025 तक 3677.98 मी०टन/कि०ली० रक्षा रसायन का वितरण।

(9) कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु 30प्र० कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति-2020 लागू। वर्ष 2021-22 से माह जून, 2025 तक कुल 3819 एफपीओ का गठन।

(10) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से माह जून, 2025 तक कृषकों को 4.48 लाख मिलेट्स (श्रीअन्न) मिनीकिट वितरित।

(11) सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 34.70 लाख मी०टन० उर्वरक तथा नैनो उर्वरक 12.01 लाख बोतल का वितरण। वर्ष 2025 के खरीफ में 3.90 लाख मी०टन यूरिया एवं 1.99 लाख फास्फेटिक व 1.09 लाख बोतल नैनो यूरिया का वितरण।

(12) अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के अंतर्गत 2024-25 में 11533.36 करोड़ ₹० का ऋण वितरित करते हुए 18.22 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2025-26 में अब तक ₹० 8513.61 करोड़ का ऋण वितरण। वर्ष 2024-25 में 1785 किसानों को ₹० 357.20 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरित। वर्ष 2025-26 में 12753 किसानों को ₹० 52 करोड़ का ऋण वितरित। प्रदेश की लगभग 7,000 प्राथमिक सहकारी समितियों को ₹० 10-10 लाख की कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराकर निष्क्रिय समितियों को सक्रिय किया गया।

(13) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत ड्रोन वितरण, गोष्ठी, सेमिनार एवं 'रन फॉर मैराथन' आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(14) वर्ष 2024-25 में 23 दिसम्बर, 2024 को आयोजित "किसान सम्मान दिवस" के अवसर पर "मा० मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना" के तहत चयनित किसानों को 11 ट्रैक्टर वितरित किये गये। 94 हाटपैठ का कार्य पूर्ण, 03 निर्माणाधीन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत ₹० 61.87 करोड़ की लागत से चन्दौली में मत्स्य मण्डी का निर्माण कार्य पूर्ण।

(15) मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों/आदतियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जनवरी, 2025 से जून 2025 तक कुल 2,128 कृषकों/लाभार्थियों को ₹० 643.38 लाख की अनुदान राशि वितरित। ई-नाम के अंतर्गत कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मण्डियों में जनवरी, 2025 से अब तक ₹० 1337.15 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया। मण्डी समितियों को ऑनलाइन करने की दिशा में ई-मण्डी योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2024 अब तक 5,718 ई-लाइसेंस निर्गत किये गये एवं ई-मण्डियों में 78.62 लाख से अधिक ऑनलाइन पचियां निर्गत।

(16) वर्ष 2025 में अब तक लखनऊ एवं सहारनपुर में गो पैक हाउस के माध्यम से 41.879 मेट्रिक टन आम को प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्न देशों में निर्यात किया गया।

5. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-

(1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के पेराई सत्रों के भुगतान सहित अब तक गन्ना किसानों को 2,88,251 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।

(3) विगत 08 वर्षों में गन्ना उत्पादकता में 10.87 टन प्रति हे० की वृद्धि हुई। उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय में ₹0 40,219 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि। विगत 08 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 8,342 लाख टन गन्ने की रिकॉर्ड पेराई की गई। गत 08 वर्षों में 879.06 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन।

(4) विगत 08 वर्षों में प्रदेश में 44.65 लाख हे० क्षेत्रफल में गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

(5) स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल 'caneup.in' एवं 'e-Ganna' ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध।

(6) ऑनलाइन खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति जारी। प्रथम बार 285 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाईसेंस निर्गत। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1241.25 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश तथा 41,900 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

(7) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,163 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन। 57,322 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत। समूहों को अब तक ₹0 7601.85 लाख का अनुदान वितरित।

(8) कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। अब तक गन्ना किसानों की 1,07,24,556 शिकायतें निस्तारित।

6. आबकारी विभाग -

(1) आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व कुल ₹0 52573.07 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 15.37 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जून 2025 तक रुपये 14228.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त।

(2) शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। शीरा वर्ष 2023-24 में कुल 494.50 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ।

(3) प्रदेश में अल्कोहल उत्पादन हेतु 95 आसवनियां स्थापित हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 392.10 करोड़ लीटर है। मार्च, 2025 तक 233.98 करोड़ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ।

(4) भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में 70 आसवनियों द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 314.42 करोड़ लीटर है। देश में एथेनॉल की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है।

(5) इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर कुल ₹0 38942.38 करोड़ के निवेश हेतु 135 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं।

7. खाद्य एवं रसद विभाग -

(1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित। 02 निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल वितरण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम चरण में 01 अक्टूबर, 2024 से अब तक 88.60 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेण्डर का वितरण तथा द्वितीय चरण में 90.36 लाख लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेण्डर की डिलीवरी की गई है।

(2) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूँ खरीद में गत वर्ष के सापेक्ष ₹0 150 की भारी वृद्धि करते हुए गेहूँ का समर्थन मूल्य ₹0 2,425 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। 2,00,541 कृषकों से 10.27 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया। धान खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य ₹0 2,300 प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य ₹0 2,320 प्रति कुन्तल निर्धारित करते हुए 57.71 लाख मी0टन धान की खरीद की गई।

(3) भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹0 2,625 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। प्रदेश के 33 जनपदों से 1.01 लाख मी0टन बाजरा क्रय किया गया।

(4) प्रदेश में मक्का खरीद हेतु वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹0 2,225 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। ज्वार खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य हाईब्रिड ज्वार के लिए ₹0 3,371 एवं ज्वार मालडण्डी के लिए ₹0 3,421 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। 45 हजार मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष 47 हजार मी0टन से अधिक ज्वार की खरीद की गई।

(5) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पाँस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओटीपीओ प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

(6) 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत अब तक अन्य राज्यों के 71,917 राशन कार्डधारकों द्वारा 30प्र0 से तथा 30प्र0 के 67,93,925 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया।

(7) एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण:-

(1) प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में लगभग 28 प्रतिशत औद्यानिक फसलों का योगदान। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्जी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तांतरण के उद्देश्य से इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से जनपद बस्ती में फल एवं कन्नौज में शाकभाजी, कौशाम्बी में फल तथा चन्दौली में सब्जी, सहारनपुर में फल तथा लखनऊ में ऑर्नामेन्टल सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस संचालित।

(2) 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति। गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्किल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट।

(3) पूंजीगत सव्सिडी के अंतर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35 प्रतिशत की पूंजीगत सव्सिडी, अधिकतम सीमा रुपये पांच करोड़ तक, प्रदान की जायेगी। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण/उन्नयन के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35 प्रतिशत की पूंजी सव्सिडी, (अधिकतम सीमा ₹0 एक करोड़ तक) प्रदान की जायेगी।

(4) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राह्यता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त

कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तथा स्पिंकलर के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में अद्यतन 1,02,337 हे० में ड्रिप एवं स्पिंकलर सिंचाई का कार्य पूर्ण।

(5) एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अन्य कार्यक्रमों में नवीन फलोद्यान, पुष्प, शाकभाजी एवं मसाला एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सम्पादित कराये गये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 61,714 हे० क्षेत्रफल का विस्तार।

(6) आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड एवं कुशीनगर में आलू के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

(7) 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत "प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 78,981 लक्ष्य के सापेक्ष 15,201 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन/स्थापना।

9. उद्योग:-

(1) "बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (बीडा) का गठन किया गया। यह प्राधिकरण 33 ग्रामों की कुल 56,662 एकड़ भूमि में विकसित होगा। भूमि अधिग्रहण हेतु ₹० 5000 करोड़ का बजट स्वीकृत।

(2) प्रदेश में 47 वर्षों के बाद एक नये शहर की स्थापना का सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को तेज गति मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश की जीडीपी में प्रदेश का 9.2 प्रतिशत योगदान है। मा० मुख्यमंत्री जी ने 30प्र० को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

(4) फरवरी, 2023 में लखनऊ में आयोजित यू०पी० ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹० 33.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत 1.07 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। फरवरी, 2024 में चौथी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में ₹० 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। लगभग 34 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना। ₹० 2.76 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन के चरण में पहुंची। अब तक ₹० 1,85,760 करोड़ के निवेश वाली 4352 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ, जिसके तहत 10,54,200 से अधिक रोजगार सृजित हुए।

(5) विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति। प्रदेश में विकसित हुई वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल भारत व विदेशों के बाजार में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की निर्बाध रूप से सुविधा।

(6) मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सहायता तथा प्रदेश में निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने और राज्य के सर्वसमावेशी विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। 118 उद्यमी

मित्रों का चयन किया गया है, जो योग्य विशेषज्ञ हैं तथा निवेशकों के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित करने तथा बनाये रखने में सहायता कर रहे हैं।

(7) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए “इन्वेस्ट यूपी” द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल ‘निवेश सारथी’ विकसित किया गया है। निवेश मित्र के अधीन एक केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली को विभिन्न नीतियों में अनुमन्य प्रोत्साहन के प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वीकृत एवं संवितरण हेतु विकसित किया गया है।

(8) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित नीति-“फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।

(9) ईज आफ इंडिंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक ‘निवेश मित्र’ का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से उद्यमियों को 45 विभागों की 525 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ ‘निवेश मित्र’ देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 19 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।

(10) उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए 30प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(11) वर्ष 2022 के उपरान्त व्यापार सुधार कार्ययोजना के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण नियम, सिंगल विन्डो सिस्टम, उपयोगिता सुधार, निर्माण परमिट जैसे 12 सुधार क्षेत्रों में 352 प्रमुख सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इनमें से 261 सुधार सरकार से बिजनेस (जी 2 बी), ईज ऑफ इंडिंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत 91 (जी 2 सी) सुधार किए गए हैं।

(12) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई औद्योगिक विकास केन्द्र एवं निर्यात केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकन्डक्टर पार्क, डेटा सेन्टर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सम्मिलित हैं। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में एक मेगा इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क। हरदोई-कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर शामिल है। ग्रेटर नोएडा में एविएशन हब, एमआरओ-कार्गो काम्प्लेक्स, दादरी में एक मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, आगरा और प्रयागराज में इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, बरेली में मेगाफूड पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क तथा गाजियाबाद लखनऊ आदि जिलों में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर, विशिष्ट पार्क निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(13) उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर में कार्य प्रगति पर। प्रस्तावित 5,000 हे० भूमि में से 2,000 हे० भूमि का अधिग्रहण। डीआरडीओ ब्रम्होस एयरोस्पेस, भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस, इन्कोर रिसर्च लैब, एयरोलाय टेक्नोलाजीज, डेल्टा कॉम्बैट

सिस्टम्स, एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को भूमि आवंटित। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी डिफेंस एवं एयरोस्पेस परियोजना तथा ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एण्ड टेस्टिंग फैसिलिटी सेन्टर का उद्घाटन किया गया है।

(14) प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात नीति 2025-30 का ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित। अद्यतन 3,822 निर्यातक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों को विपणन विकास सहायता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 861 इकाइयों को ₹0 1005.26 लाख की सहायता धनराशि वितरित।

(15) एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक 3,769 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए ₹0 20940.46 लाख मार्जिन मनी वितरित।

(16) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों जैसे- बढई, मोची, दर्जी, सोनार, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई, कुम्हार, नाई, टोकरी बुनकर आदि को कौशल प्रशिक्षण देते हुए उनको टूलकिट उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण हेतु 75000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का प्राविधान।

(17) कौशल विकास एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2025-26 में 28000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का प्राविधान।

(18) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक 6,943 लाभार्थियों को ₹0 19599.12 लाख की मार्जिन मनी वितरित।

(19) मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 03 उद्यमियों को ₹0 13.50 लाख की वित्तीय सहायता।

(20) प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के बजट में नई योजना के रूप में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 28,022 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया। वर्ष 2025-26 में अब तक 32,621 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया।

(21) एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एमएसएमई नीति-2022 प्राख्यापित।

(22) प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के नियोजित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग की महती आवश्यकता के दृष्टिगत (पीएलईडीजीई) निजी औद्योगिक आस्थानों के विकास की योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 12 प्लेज पार्कों की स्वीकृति-जनपद उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड, सम्भल, झांसी, मथुरा एवं मुरादाबाद में की जा चुकी है।

(23) निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापति/लाइसेंस/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया ऑनलाइन व्यवस्था। इसके तहत अब तक कुल 38,59,170 उद्यम पंजीकृत हुए।

10. सूचना प्रौद्योगिकी:-

(1) 30प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अंतर्गत संशोधित नीति में लक्ष्यों को उच्चिकृत करते

हुए 08 डाटा सेन्टर पार्कस् तथा प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित। 644 मेगावॉट क्षमता सहित 06 डाटा सेन्टर पार्क तथा 40 मेगावॉट से कम क्षमता वाले 02 डाटा सेन्टर इकाइयों की निवेश परियोजना स्वीकृत। 05 परियोजनाएं कार्यरत। 30प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अंतर्गत कुल ₹0 2595.17 करोड़ निवेश तथा 38,000 रोजगार संभावनाओं युक्त 28 परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान कर निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत।

(2) प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के अंतर्गत ₹0 17 करोड़ के निवेश तथा 900 से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार। प्रदेश में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(3) उत्तर प्रदेश की आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस नीति प्रख्यापित। इस नीति के तहत राज्य में 08 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के क्रम में 02 उत्कृष्टता केन्द्र संचालित।

(4) उत्तर प्रदेश सेमीकन्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित। सेमीकन्डक्टर इकाइयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना। नीति के अंतर्गत मेसर्स टार्क सेमीकन्डक्टर प्रा0लि0 ₹0 28,440 करोड़ तथा मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट प्रा0लि0 की ₹0 3706.12 करोड़ के निवेश वाली 02 वृहद परियोजनाओं निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(5) 30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत 16000 से अधिक स्टार्टअप सहित उत्तर प्रदेश में इकोसिस्टम का तीव्र गति से विस्तार। इनमें से 2200 से अधिक स्टार्टअप स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत हैं।

11. जी0एस0टी0:-

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹0 114637.54 करोड़ का राजस्व प्राप्त। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जून 2025 तक ₹0 27858.26 करोड़ का राजस्व प्राप्त।

(2) जी0एस0टी0 में समाधान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3.21 लाख करदाता लाभान्वित। रेस्टोरेन्ट के व्यापारियों को मात्र 05 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा किये जाने की अलग से समाधान योजना लागू।

(3) 30प्र0 में जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है।

(4) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 275 एवं वर्ष 2025-26 में अब तक 87 कुल 362 व्यापारियों को ₹0 36.20 करोड़ देते हुए लाभान्वित किया गया।

12. नगर विकास:-

(1) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत मिलियन प्लस शहरों में देश में उत्तर प्रदेश के कुल 08 शहरों ने स्थान बनाया, जिसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। आगरा 10वें, गाजियाबाद 11वें, प्रयागराज 12वें, कानपुर 13वें, वाराणसी 17वें, मेरठ 23वें, अलीगढ़ 26वें स्थान पर रहे। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

(2) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत प्रदेश के 03 से 10 लाख की जनसंख्या के 08 नगरों-गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृन्दावन, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, बरेली एवं अयोध्या ने स्थान प्राप्त किया। 50 हजार से 03 लाख की जनसंख्या के 03 नगरों-बिजनौर, मोदीनगर, हरदोई तथा 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या के नगर निकाय-अनूप शहर, सिधौली, खैरागढ़ ने स्थान प्राप्त किया।

- (3) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चयनित 10 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, पथप्रकाश, स्मार्ट मार्ग व पार्किंग, पार्को व वाटर बॉडीज के स्वीकृत कार्यों में 641 कार्य पूर्ण।
- (4) राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों-अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 938.48 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, सीसीटीवी, इन्टीग्रेशन, सूर्य नमस्कार, सीनियर केयर सेन्टर, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि कार्य प्रगति पर। स्वीकृत 74 कार्यों में 34 कार्य पूर्ण।
- (5) प्रदेश के सभी 17 स्मार्ट शहरों की केन्द्रीकृत एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र से निगरानी के लिए स्मार्टसिटी राज्य केन्द्रीकृत डिजिटल निगरानी केन्द्र की स्थापना।
- (6) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत तक कुल 16,41,500 आवास पूर्ण। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।
- (7) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 19.72 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित। ऋण वितरण में 30प्र0 का देश में प्रथम स्थान। भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु वर्ष 2023-24 में प्रेज एवॉर्ड से उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया।
- (8) अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 11312.10 करोड़ रुपये लागत की योजना में जलापूर्ति, सीवरेज, हरितभूमि एवं पार्क की कुल 723 परियोजनाओं में से पेयजल की 161, सीवरेज की 93 परियोजनाएं, हरित भूमि व पार्क विकास की 302 परियोजनाएं पूर्ण। साथ ही 9.20 लाख पेयजल तथा 8.60 लाख सीवर के गृह संयोजन पूर्ण, इससे 89 लाख लोग लाभान्वित हुए। नगरीय निकायों में 280 एमएलडी क्षमता के 12 एसटीपी एवं 210 एमएलडी क्षमता के 04 डब्ल्यूटीपी का कार्य पूर्ण।
- (9) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-1.0 के अंतर्गत 82 नगरीय निकायों में 133.42 लाख टन एकत्रित लिगेसी वेस्ट में से 103.65 टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण तथा 09 लाख व्यक्तिगत शौचालयों, 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। प्रदेश के 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पैंक शौचालयों का निर्माण। 762 नगरीय निकायों में 935 मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) अधिष्ठापित कराने का कार्य संचालित। वर्तमान में 727 नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी संचालित। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था।
- (10) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2024 में प्रदेश के 04 शहरों-फिरोजाबाद एवं रायबरेली को प्रथम स्थान तथा आगरा एवं झांसी को तीसरा स्थान अपनी श्रेणी में प्राप्त हुआ।
- (11) दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु स्वीकृत 155 योजनाओं में से 146 पूर्ण। 74,391 स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 49,516 समूहों को ₹0 49.52 करोड़ रुपये रिवाल्विंग फण्ड के रूप में अवमुक्त किया गया। 2,44,813 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर 1,20,821 लाभार्थियों को सेवायोजित किया गया।
- (12) नगरीय निकायों में संचालित सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश स्तरीय निगरानी व्यवस्था। जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था। प्रदेशव्यापी टोल फ्री नं0 1533 संचालित। जनसामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में ई-नगर सेवा लागू।

(13) आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत कुल 762 नगरीय निकायों में से सबसे पिछड़े 100 नगर निकायों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं विकास हेतु 150 करोड़ रुपये स्वीकृत।

(14) फेम इण्डिया स्कीम-2 के तहत नगरीय परिवहन को सुलभ व सुरक्षित बनाने हेतु 14 शहरों में 740 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस स्थापित। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील। प्रदेश के 07 शहरों में 500 ई-ऑटो संचालित कराने की कार्यवाही गतिशील। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगरीय परिवहन की बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड-‘वन यूपी वन कार्ड’ की व्यवस्था।

(15) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अरबन) के तहत नगरों में सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए बेहतर सड़क निर्माण हेतु 16 नगर निगमों को 432 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत। इस वर्ष योजनान्तर्गत 800 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान।

(16) प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए ‘वंदन’ योजना के तहत 137 निकायों में कार्य प्रगति पर। योजना के तहत पेयजल, सीवरज, जलनिकासी, सड़क, पथप्रकाश एवं सौन्दर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जा रही। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित, उच्चकृत, सीमा विस्तारित नगर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु वर्ष 2025-26 में ₹0 800 करोड़ का बजट प्राविधान।

(17) महाकुम्भ मेला-2025 प्रयागराज में 23 कार्यदायी विभागों की 453 परियोजनाओं हेतु धनराशि निर्गत। महाकुम्भ में अवसंरचनात्मक सुविधाएं रेलवे, ओवरब्रिज/रेलवे अण्डरब्रिज, सड़कों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य, नदी किनारे कटाव निरोधक कार्य, इण्टरलॉकिंग सड़क मार्ग/रिवर फ्रण्ट का निर्माण आदि कार्य किए गये। स्वच्छ भारत मिशन एवं नगर निगम प्रयागराज के समन्वय से शहर की साफ-सफाई एवं स्वच्छता हेतु उच्चकोटि की व्यवस्था। डिजिटल कुम्भ म्यूजियम का निर्माण एवं पर्यटन रूट सर्किट का निर्माण।

13. जलशक्ति:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा कुल 1129 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिसमें 50.17 लाख हे० सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 217 लाख कृषक लाभान्वित हुए।

(2) प्रदेश में कुल नहरों की लम्बाई 76,527 किमी० है तथा जलाशयों की संख्या 71 है। चलित राजकीय नलकूप 36,094 हैं।

(3) प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कुल 1,133 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण। 30.3 लाख हे० से अधिक भूमि का बचाव करते हुए 208.88 लाख आबादी को लाभान्वित किया गया।

(4) केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ₹0 5121.51 करोड़ का प्राविधान। इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश में 1700 एम०सी०एम० पानी तथा 2.51 लाख हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध होगी।

(5) मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना प्रक्रियाधीन। परियोजना के पूर्ण होने पर जनपद अमरोहा, संभल, मुरादाबाद में कुल 1.46 लाख हे० सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे। जनपद महाराजगंज में रोहिन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण। परियोजना पूर्ण होने से 8,811 हे० सिंचन क्षमता का सृजन एवं 16,000 कृषक लाभान्वित हुए। कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य

लाभान्वित होंगे। परियोजना पूर्ण होने पर 35,467 हे० सिंचन क्षमता का सृजन, 2 लाख आबादी को पेयजल सुविधा, 108 ग्रामों के 53,000 कृषक लाभान्वित होंगे।

(6) तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र० को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

(7) प्रदेश के कृषकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं राजकीय नलकूपों के संचालन संबंधी समस्याओं को दूर कराने हेतु 'हेलो किसान' मुहिम प्रारम्भ।

(8) जनपद महाराजगंज में स्थित छोटी गण्डक नदी को पुनर्जीवित किया गया। नेपाल से जनपद महाराजगंज में प्रवेश करने के उपरान्त यह नदी लगभग 10 किमी० मृतप्राय हो गई थी, जिसको पुनर्जीवित करते हुए 22 ग्रामों की 48,500 आबादी तथा 1,950 हे० कृषि योग्य भूमि को सुरक्षा प्रदान की गई।

14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति:-

(1) नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत रु० 16050.71 करोड़ लागत की 73 सीवर शोधन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। इनमें से 38 सीवरज शोधन संयंत्र पूर्ण। 23 परियोजनायें निर्माणाधीन।

(2) वर्तमान में राज्य में कुल 5500 एमएलडी सीवेज उत्पन्न हो रहा है कुल 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिनकी क्षमता 4651.60 एमएलडी जल शोधन हेतु संचालित। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी 05 योजनाएं स्वीकृत। 73 घाटों एवं 15 शवदाह गृह का निर्माण। वाराणसी नगर में 26 घाटों तथा 08 कुण्डों के पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(3) नदियों के किनारें अब तक 8820.15 हेक्टेयर क्षेत्र में 46,39,275 पौधों का रोपण।

(4) प्रयागराज में 07 घाट एवं फतेहपुर तथा बलिया में 1-1 घाट का निर्माण कार्य स्वीकृत। नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। गंगा नदी पर 36 स्थानों से माह मई 2024 में नेशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लिये गये सैम्पल की जाँच के उत्साहजनक नतीजे प्राप्त।

(5) गंगा नदी के समीप चिन्हांकित 231 आर्द्रभूमि का मूल्यांकन करते हुए प्रबंधन की कार्यवाही प्रचलित। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देते हुए गंगा किनारे के 27 जनपदों में 1,23,580 हे० क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने हेतु जन-जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में 'अर्थगंगा' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) महाकुम्भ 2025 प्रयागराज के दौरान राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 50 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में गंगा अवतरण, गंगा आरती, ऐतिहासिक इमारतें आदि संदेश की पेंटिंग की गई। नमामि गंगे की प्रदर्शनी एवं 1500 गंगा दूत नियुक्त किये गये।

(7) जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनाच्छादित बस्तियों में "हर घर को नल से जल" उपलब्ध कराने के लक्ष्य के क्रम में विंध्य व बुन्देलखण्ड सहित अन्य जनपदों में अब तक 2,40,76,469 परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन द्वारा पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध।

(8) प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 1,16,340 स्कूलों एवं 1,55,136 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

(9) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजनांतर्गत प्रदेश के 26 विकास खण्डों की 550 ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए जनसहभागिता के माध्यम से जल संचयन के विभिन्न कार्य कराये गए। 30प्र0 अटल भूजल योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू।

(10) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा चालू वर्ष में कुल 3,05,382 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, 3,932 गहरी बोरिंग व 8,708 मध्यम बोरिंग नलकूप पूर्ण। 192 तालाब, 199 चेकडैम तथा 1,176 ब्लास्ट कूप का निर्माण। 6,41,857 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन।

15. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-

(1) प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन चौड़े (08 लेन विस्तारणीय) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किमी0 लम्बी हवाई पट्टी का निर्माण।

(2) 296 किमी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 जुलाई, 2022 को लोकार्पण। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(3) गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे 04 लेन चौड़ा (06 लेन विस्तारणीय) 91.352 किमी0 लम्बाई की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 जून 2025 को लोकार्पण किया गया।

(4) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बाई के 06 लेन (08 लेन विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 87 प्रतिशत से अधिक पूर्ण।

(5) उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी 06 नोड्स-अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में, रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अर्जन। अब तक 176 रक्षा उद्योग स्थापना हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। हस्ताक्षरित एमओयू में से 58 उद्योगों को कुल 924.04 हे0 भूमि आवंटित। रु0 9553.02 करोड़ का निवेश और 13,761 कर्मियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन। 05 इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ।

(6) अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम संचालित। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या सहित प्रदेश में 04 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स क्रियाशील। जनपद गौतमबुद्धनगर में 5000 हे0 में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। प्रदेश के आपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 16 (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर, अयोध्या, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सरसावा एवं मुरादाबाद) हो गयी है।

(7) प्रदेश में अप्रैल 2017 में 04 क्रियाशील एयरपोर्ट से 25 डोमेस्टिक और इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस कनेक्टेड थे वहीं गत 08 वर्षों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 16 क्रियाशील एयरपोर्ट से 75-80 डोमेस्टिक तथा इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टड हैं।

(8) जेवर में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा।

16. ऊर्जा:-

(1) प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा

रही। मार्च 2025 में औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 20.06 घण्टे, तहसील स्तर पर 22.22 घण्टे, जनपद स्तर पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 43 नये 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत एवं 806 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई। बिजनेस प्लान 2024-25 एवं अतिरिक्त बिजनेस प्लान के अंतर्गत 72 नग 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण तथा 645 नग 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्रों की विद्युत क्षमता वृद्धि का कार्य।

(3) नवीन व्यवस्था के तहत किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों को 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था।

(4) सिंचाई की सुविधा हेतु किसानों के अब तक 2,08,258 निजी नलकूप के संयोजन निर्गत किये गये। डार्क जोन में निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से 01 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला।

(5) प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक 1,21,311 मजरों का विद्युतीकरण। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 177.84 लाख विद्युत संयोजन। लाइन हानि मार्च 2024 में 15.54 प्रतिशत रही।

(6) विद्युत उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए आर0डी0एस0एस0 योजना संचालित।

(7) लाइन हानियों को कम करने के लिए एल0टी0 लाइन की खुले तारों व क्षतिग्रस्त केबल को 1,16,979 सर्किट किलो मीटर ए0बी0 केबिल में बदला गया। इससे लॉइन हानियों में कमी आई।

(8) वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 नग विद्युत उपकेन्द्रों यथा 02 नग 400 के0वी0 तथा 07 नग 123 के0वी0 उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण किया गया है। इन उपकेन्द्रों के ऊर्जीकरण से ग्रिड में 10173 एमबीए परिवर्तक क्षमता का संयोजन एवं 1630 सर्किट किमी0 पारेषण लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है।

(9) किसानों के निजी नलकूप हेतु मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिये जाने का निर्णय। किसानों को सिंचाई हेतु वर्ष 2022-23 के विद्युत बिल के सरचार्ज में माफी योजना लागू।

(10) झटपट पोर्टल, निवेश मित्र पोर्टल में 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक 22,20,215 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17,42,871 उपभोक्ताओं को नये संयोजन निर्गत किये गये।

(11) प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु विद्युत बिलों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवा केन्द्रों व जन सेवा केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहों, राशन की दुकानों, विद्युत सखियों, मीटर रीडर के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा।

(12) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा।

(13) उपभोक्ताओं को घर बैठे स्वयं अपना बिल बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम द्वारा मीटर की रीडिंग डालकर बिल बनाने की सुविधा। पॉवर कारपोरेशन में ईआरपी प्रणाली लागू।

(14) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा 03 नवम्बर, 2024 को अधिकतम 165.3084 मि0यू0/6888 मे0वांट का रिकार्ड उत्पादन किया गया।

(15) फरवरी 2023 में सम्पन्न यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30प्र0 सरकार द्वारा

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि० के साथ एमओयू हस्ताक्षरित।

(16) ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढीकरण। पारेषण तंत्र की क्षमता में वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 में पारेषण क्षमता को बढ़ाकर 32,500 मेगावॉट किया जाना है।

(17) 30प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा दिनांक 13 जून, 2024 को 30,618 मेगावॉट की उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक वहन किया गया।

(18) यूटीलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 2,743 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण।

(19) पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के तहत 648.86 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं पूर्ण। सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,06,412 संयंत्रों, सौभाग्य योजना के तहत दूरस्थ ग्रामों में 53,354 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 15,669 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना। पीएम कुसुम योजना घटक सी-1 के अंतर्गत 2000 पम्पों का सोलराइजेशन किया गया। 5245 पम्पों का सोलराइजेशन कार्य प्रगति पर।

(20) सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आगामी 05 वर्षों में 22 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित।

(21) 30प्र० राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कृषि व पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड अपशिष्ट आदि विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायो-कोल, बायो डीजल व बायो एथेनॉल की इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन। जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 53 परियोजनाओं की स्वीकृति। प्रदेश में सीबीजी उत्पादन क्षमता 225 टन प्रतिदिन के साथ देश में प्रथम स्थान पर। प्रदेश में अभी तक 24 परियोजनायें स्थापित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित।

17. श्रम एवं सेवायोजन:-

(1) 30प्र० रोजगार मिशन का गठन। आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवॉर्डि सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु व्यवस्था विकसित।

(2) ई-श्रम पोर्टल पर 01 जुलाई, 2024 से मार्च 2025 तक 30प्र० के कुल 276082 असंगठित कर्मकारों का पंजीयन। पोर्टल के आरम्भ से अब तक 8,38,89,279 असंगठित श्रमिक पंजीकृत। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(3) श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये की सहायता।

(4) बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गम्भीर रोग से ग्रसित होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रु० 1,000 बालकों व रु० 1,200 बालिकाओं के लिए दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1539 बाल

श्रमिकों/कामकाजी बच्चों को लाभान्वित किया गया।

(5) उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के उद्देश्य से विगत 08 वर्षों में प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक 27,295 कारखाने पंजीकृत, जिनमें 13126 नये कारखाने पंजीकृत।

(6) विदेशों में रोजगार हेतु प्रदेश के 5,978 से अधिक निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। इससे लगभग 1,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना। 1383 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने हेतु कार्यवाही प्रचलन में।

(7) कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य को स्थानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था। सेवायोजन विभाग द्वारा 52,353 कुशल कामगार पंजीकृत। मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार/स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से रोजगार सृजन की कार्यवाही। कुल 11,082 रोजगार मेलों के माध्यम से 13,83,334 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए सेवायोजित कराया गया।

(8) श्रमिकों के बच्चों एवं कोविड से अनाथ हुये बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा देने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ। 10617 बच्चे अध्ययनरत।

(9) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 6,95,292 श्रमिक आच्छादित।

18. शिक्षा:-

(1) प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2025 तथा द्वितीय चरण 01 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक स्कूल चलो अभियान चलाकर बच्चों का नामांकन कराया गया।

(2) प्रदेश के उच्चीकृत 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 82,629 बालिकाओं हेतु आई.सी.टी. लैब, स्मार्ट क्लास, इन्सिनरेटर, सी.सी.टी.वी. कैमरा आदि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था।

(3) प्रदेश में समग्र शिक्षा के 1,772 विद्यालय, पी.एम. श्री के अंतर्गत 442 एवं पायलट फेज के 60 विद्यालयों कुल 2274 विद्यालयों में 'लर्निंग बाई इडिंग' कार्यक्रम संचालित। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1608 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं 560 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

(4) परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 02 सेट यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय हेतु बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के खातों में प्रति छात्र रु0 1,200 की दर से धनराशि अन्तरित की गई।

(5) परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को निरन्तर सुदृढ किया जा रहा है। आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1.33 लाख विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है।

- (6) समेकित शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के 06-14 आयु वर्ग के समस्त दिव्यांग बच्चों की गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा के लिए दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं ऑनलाइन ट्रेकिंग हेतु 'समर्थ' मोबाइल वेब्स एप्लीकेशन एवं पोर्टल विकसित किया गया है।
- (7) 'निपुण भारत मिशन' के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया है, 4.53 लाख शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। फरवरी 2025 में आंकलन पूर्ण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया कुल 48,061 विद्यालय निपुण विद्यालय के रूप में सफल हुए।
- (8) पी0एम0 श्री योजनान्तर्गत प्रदेश के 1129 उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब की स्थापना संबंधी कार्यवाही गतिमान। विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ 2,61,530 टैबलेट उपलब्ध कराये गये।
- (9) प्रदेश में वर्तमान में कुल 29,216 माध्यमिक विद्यालय संचालित। 60 नये राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति। 256 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल का निर्माण तथा 77 बालिका छात्रावास का संचालन। 280 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल का संचालन।
- (10) 778 राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था तथा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु आईसीटी लैब की स्थापना। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत प्रदेश के 5,266 राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, हॉल आदि सुविधाओं से संतुष्ट किया जा रहा है।
- (11) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट अलंकार योजना संचालित। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा (मा0) के 18 एवं पीएमश्री योजना के अंतर्गत 83 विद्यालय कुल 101 विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब स्थापित।
- (12) गत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 6808 सहायक अध्यापक, 1939 प्रवक्ता एवं 219 प्रधानाचार्य सहित कुल 8966 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन।
- (13) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत इसे व्यवसायपरक बनाने हेतु इसमें आधुनिक विषयों का समावेश एवं एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकें लागू। रोजगारपरक शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा 04 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ।
- (14) प्रदेश में कुल 324 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित। वर्तमान में प्रवेशित शीटों की संख्या 1.84 लाख हो गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं उनके कन्सोर्टियम द्वारा सी.एस.आर. के सहयोग से 149 आई.टी.आई. एवं एक प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में कौशलम केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें 11 दीर्घकालीन न्यू एज कोर्स एवं 23 शार्ट टर्म कोर्सेज का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। 11,000 से अधिक प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणरत।
- (15) वर्तमान में डिप्लोमा स्तरीय 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित तथा 15 संस्थाएं पी0पी0पी0 मोड सहित कुल 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब तथा 183 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना। छात्र-छात्राओं की समस्याओं का ऑनलाइन निराकरण हेतु Students Grievance Cell का गठन। प्रत्येक पॉलीटेक्निक संस्था में तथा मण्डल स्तर पर 1-1 महिला छात्रावास के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 12 महिला छात्रावास पूर्ण।
- (16) प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के दृष्टिगत उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत

एक वर्षीय 04 नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारम्भ। 137 राजकीय/अनुदानित संस्थाओं में एक्सिलेंस सेन्टर स्थापित कराये जाने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी लि० से प्राप्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण की 45 संस्थाओं हेतु रु० 10,000 लाख का बजट प्रावधान।

(17) उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, जिसमें 134 विषयों के 77,000 कन्टेंट उपलब्ध हैं।

(18) प्रदेश सरकार के गत 08 वर्षों के कार्यकाल में 06 मण्डलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी वि०वि० सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव वि०वि० आजमगढ़, माँ विन्ध्यवासिनी वि०वि० मिर्जापुर, गुरु जम्भेश्वर वि०वि० मुरादाबाद एवं माँ पाटेश्वरी देवी वि०वि० बलरामपुर की स्थापना। 22 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना।

(19) मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा/राज्य सेक्टर के अंतर्गत 71 नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना। रुसा के अंतर्गत 26 राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना।

19. समाज कल्याण:-

(1) “मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना” के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 23,801 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत लगभग 67.50 लाख पेंशनरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में 1,12,875 लाभार्थी परिवारों को रु० 33862.50 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए आर्थिक सहायता। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 33,514 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 101 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) संचालित, जिसमें वर्ष 2025-26 में 33,739 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 95,448 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति युगल विवाह हेतु धनराशि रु० 51 हजार से बढ़ाकर रु० 01 लाख कर दी गई है। चालू वर्ष में अब तक 3729 युगलों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

(6) प्रदेश के 75 जनपदों में 150 संवासियों की क्षमता के वृद्धाश्रम संचालित। इसके माध्यम से वर्ष 2025-26 में अब तक 6,565 वृद्ध लाभान्वित।

(7) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति के 4,11,797 छात्र-छात्राओं एवं सामान्य वर्ग के 1,52,424 छात्र-छात्राओं को तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 2024-25 में अनुसूचित जाति के 10,86,073 छात्र-छात्राओं तथा सामान्य वर्ग के 7,26,358 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति वितरित।

(8) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के

छात्र-छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8,62,790 छात्र-छात्राओं के खातों में ₹0 183.26 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल ₹0 325 करोड़ का प्राविधान। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,59,704 छात्र-छात्राओं के खातों में ₹0 2248.73 करोड़ हस्तान्तरित। वर्ष 2025-26 हेतु ₹0 2500 करोड़ का प्राविधान।

(9) पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 लाख लाभार्थियों के खाते में ₹0 200 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। वर्ष 2025-26 में 15 जुलाई 2025 तक कुल 19372 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(10) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल व सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,769 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(11) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मूलभूत सुविधाओं आईटीआई, राजकीय इण्टर कॉलेज, पाइप पेयजल, सीवरेज, छात्रावास आदि 405 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण।

(12) अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,02,187 छात्र-छात्राओं को ₹0 2999.96 लाख एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,66,274 छात्र-छात्राओं को ₹0 18999.71 लाख की धनराशि वितरित।

(13) प्रदेश में 11,32,240 दिव्यांगजनों को 1,000 ₹0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/पेंशन तथा 12,692 लाभार्थियों को 3,000 ₹0 प्रतिमाह की दर से कुष्ठवस्था पेंशन वितरित।

(14) शल्य चिकित्सा अनुदान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में 201 दिव्यांगजनों को शल्य चिकित्सा अनुदान। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 1,046 एवं वर्ष 2025-26 में 297 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 35,136 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2025-26 में अद्यतन 22,559 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया गया।

(15) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में 47 पाठ्यक्रमों में कुल 5,682 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित। कुल 1,369 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

20. महिला एवं बाल विकास:-

(1) राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2024-25 तक कुल 1 लाख से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया तथा 42,776 बच्चों को स्पांसरशिप से तथा 11 बच्चों को फास्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। 1,784 बालकों को अब तक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया।

(2) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी बालिका को 25,000 ₹0 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 25.38 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.77 लाख लाभार्थियों को रुपये 70.15 करोड़ की धनराशि अंतरित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून

2025 तक कुल 10,645 गतिविधियों के माध्यम से 18.32 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(4) '181' महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत अब तक 7.78 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई।

(5) वन स्टॉप सेन्टर योजना के अंतर्गत कुल 2.21 लाख मामले संदर्भित किये गये हैं।

(6) मिशन शक्ति अभियान के तहत लगभग 9 करोड़ पुरुष/महिला/अन्य को जागरूक किया गया। जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु "रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष" की स्थापना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 2,841 एवं वर्ष 2025-26 में अभी तक 1,250 महिलाओं तथा बालिकाओं को सहायता एवं क्षतिपूर्ति धनराशि दी गई। प्रदेश में महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 08 महिला शरणालय, 01 संरक्षण गृह, 01 मानसिक मंदित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन। जिनमें विभिन्न समस्याओं से पीड़ित 246 संवासिनी एवं 25 उनके बच्चे निवासरत हैं।

(7) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 35.78 लाख निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जा रही है।

(8) प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु "30प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" के अंतर्गत 18,990 बच्चों को 4,000 रु0 प्रतिमाह तथा 6,348 बच्चों को लैपटॉप वितरित। 24 बालिकाओं को शादी हेतु धनराशि वितरित। "30प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)" के अंतर्गत 66,753 बच्चों को 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(9) मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत 07 जनपदों में छात्रावास निर्माण प्रक्रियाधीन।

21. राजस्व:-

(1) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,573 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मार्च, 2025 तक कुल 67,921 ग्रामों में 1,03,14,359 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु रु0 1050 करोड़ का बजट प्राविधानित। 30 जून 2025 तक 11,690 से अधिक लोगों को लाभान्वित कराया गया।

(2) अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 01 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक कुल 11,645 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 9,925 शिकायतें निस्तारित। अभियान के अंतर्गत कुल 160.87 हे0 भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी तथा 113 राजस्व वाद, 05 सिविल वाद व 07 एफआईआर दर्ज कराई गई।

(3) भूलेख पोर्टल पर अंश निर्धारण के डैशबोर्ड के अनुसार 30 जून 2025 तक प्रदेश के 1,06,909 राजस्व ग्रामों के कुल 7.62 करोड़ गाटों में से 6.47 करोड़ गाटों में अंश निर्धारण किया जा चुका है। शेष गाटों का अंश निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 120761.25 लाख रुपये विभिन्न जनपदों को आवंटित। महाकुम्भ के दौरान आपदाओं को न्यूनीकरण हेतु विभिन्न विभागों (अग्निशमन, पीएसी, पुलिस, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

एवं मेला अधिकारी प्रयागराज) को 19250.33 लाख रुपये का आवंटन।

22. परिवहन:-

(1) माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न जनपद मुख्यालयों को जोड़ते हुए राज्य की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हेतु परिवहन सेवाओं का शुभारम्भ किया गया है। वर्तमान में 97 बसें लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं दिल्ली हेतु 91 बसें राजधानी दिल्ली एक्सप्रेस सेवा के रूप में संचालित हैं।

(2) निगम द्वारा अपनी बस सेवाओं में सीटों के अग्रिम आरक्षण, डिजिटल माध्यम से भुगतान करने व फीडबैक हेतु यूपी राही ऐप का अनावरण।

(3) मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 अक्टूबर, 2023 को अयोध्या में मिशन महिला सारथी अभियान के शुभारम्भ के साथ ही 51 वीएस-6 बसों का शुभारम्भ किया। वर्तमान में 36 बस स्टेशनों के निर्माण व उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर। असेवित गांवों को सेवित किये जाने हेतु 1540 नए रूट्स का फार्मुलेशन एवं उनपर निगम बसें चलाये जाने की प्रक्रिया गतिशील। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बस हेतु रु० 100 करोड़ व चार्जिंग स्टेशन हेतु रु० 50 करोड़ प्राविधानित।

(4) महाकुम्भ-2025 की मेला अवधि में श्रद्धालुओं को विभिन्न स्थानों से अस्थायी बस स्टेशनों तक अवागमन हेतु ग्रामीण सेवा के रूप में 8500 बसों एवं अस्थायी बस स्टेशनों से प्रयागराज आवागमन हेतु 550 बसों का संचालन। 22 वातानुकूलित एवं 02 नग डबलडेकर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें महाकुम्भ प्रयागराज में शटल सेवा के रूप में संचालित की गईं।

(5) सभी बसों में गति नियंत्रण हेतु स्पीड कंट्रोल डिवाइस स्थापित। यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने हेतु 680 बसों में एण्टी स्लीप डिवाइस, 12500 बसों में वीएलटी डिवाइस स्थापित। वर्तमान में 624 वातानुकूलित बसें, 22 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें, 49 पिंक बसें, 14 वोल्वो एवं 02 वातानुकूलित शयनयान, 59 वातानुकूलित शताब्दी बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित। दिव्यांग सशक्तीकरण के अंतर्गत 202 बस स्टेशनों पर व्हील चेयर, रैम्प, रेलिंग, प्रसाधनों की व्यवस्था। सुरक्षित संचालन एवं दुर्घटना की प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कर चालक स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड बनाया गया तथा नशे की रोकथाम के लिए निरीक्षक दल को ब्रेथ एनेलाइजर उपकरण दिये गये।

(6) रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2024 में 19.78 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। 50 बस स्टेशनों पर नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु माताओं के लिए शिशु देखभाल कक्ष की व्यवस्था।

23. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग):-

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 33,644 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 26,378 किमी० लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 168 विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने हेतु 1,425 किलोमीटर लम्बाई हेतु रु० 2,443 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 159 कार्य पूर्ण। 26 तहसील मुख्यालयों को 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 270 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु रु० 391 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 26 कार्य पूर्ण।

(2) केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि से 2,952 किलोमीटर, धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, नवनिर्माण विकास योजना के अंतर्गत पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के

1,039 किलोमीटर के 197 कार्यों में 41 कार्य पूर्ण। चीनी मिल मार्ग योजना के अंतर्गत 3,548 किलोमीटर के 3,448 कार्यों में 1,547 कार्य पूर्ण।

(3) 275 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। 126 रेल उपरिगामी सेतुओं तथा 16 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन चालू। 1,125 लघु सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त, 116 दीर्घ सेतु, 595 लघु सेतु, 110 रेल उपरिगामी सेतु तथा 11 फ्लाईओवर, कुल 832 सेतु निर्माणाधीन।

(4) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों के विकास, जिसके क्रम में 1,296 किमी० लम्बाई की 112 सड़कों में से 98 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(5) वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 40,044 किमी० लम्बाई की सड़कों को गड़ढामुक्त तथा 23,139 किमी० लम्बाई में मार्गों का नवीनीकरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23,457 किमी० मार्गों का नवीनीकरण।

(6) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अब तक 793 किमी० लम्बाई के 466 कार्य पूर्ण।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का नवनिर्माण।

(8) प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए कुल 70 नये राज्य मार्ग लम्बाई 5,604 किमी० घोषित, इन मार्गों को दो लेन चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

(9) मार्ग सुरक्षा/यातायात सुरक्षा हेतु चिन्हित 567 ब्लैक स्पॉट में से 321 ब्लैक स्पॉट का सेफ्टी आडिट आईआईटी दिल्ली तथा 246 का आईआईटी वीएचयू द्वारा पूर्ण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्लैक स्पॉट के सुधार हेतु कार्ययोजना प्रक्रियाधीन।

(10) विभाग की टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु प्रहरी एप्लीकेशन को लागू किया गया। पारदर्शिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लोक निर्माण विभाग के बजट, पंजीकरण, ई-एमवी, ई-बिलिंग, ई-डिमाण्ड, ई-एलाटमेन्ट को ऑनलाइन करने के लिए “चाणक्य” एवं “विश्वकर्मा” नाम से दो बड़े साफ्टवेयर लागू।

24. पंचायतीराज:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रथम चरण में 2.18 करोड़ शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त/ओडीएफ घोषित किया गया। सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(2) ओडीएफ प्लस मानक श्रेणी के तहत प्रदेश में अब तक 94,582 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। जिसमें 1,373 उदीयमान, 94 उज्ज्वल एवं 93,115 उत्कृष्ट ग्राम घोषित हुए हैं।

(3) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित किया जा रहा है। फेज-02 के अंतर्गत 53,33,875 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण। प्रदेश की 58,673 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया।

(4) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन अन्तर्गत 2,86,645 कम्पोट पिट, घर-घर से कूड़ा संग्रहण हेतु 120771 वाहन/हाथ गाड़ी/ठेलिया की व्यवस्था सहित 52,975 अपशिष्ट प्रसंस्करण

एवं संग्रहण केन्द्र स्थापित। तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत 3,74,310 सोकपिट, 6,07,560 नाला-नाली के साथ 48,921 ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट के संसाधन स्थापित किये गये हैं। गोबरधन परियोजना के तहत 73 जनपदों में 115 प्लांट स्थापित। प्लास्टिक प्रबंधन के लिए 97 इकाइयां स्थापित।

(5) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में संचालित। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा रु0 373.04 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गई।

(6) पंचायत भवन/कॉमन सर्विस सेन्टर एवं पीएलसी की वर्ष 2025-26 में 293 यूनिट्स का कार्य पूर्ण। शतप्रतिशत ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में यू0पी0आई0 आई0डी0 एवं क्यू0आर0 कोड की स्थापना करायी गयी। प्रथम बार जेमपोर्टल का इंटीग्रेशन, भारत सरकार के सॉफ्टवेयर ई-ग्राम स्वराज से करते हुए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़े जाने की कार्यवाही की गयी।

(7) मैन्युअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सीवर/सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान मृतक के आश्रित व्यक्ति को रु0 10 लाख की निर्धारित धनराशि देने के प्रावधान के तहत 13 आश्रितों को रु0 130 लाख की धनराशि दी गई।

(8) पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करते हुए धनराशि हस्तांतरित।

(9) ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना। इस कोष के अंतर्गत अब तक कुल 3,107 आश्रित परिवारों को सहायता राशि दी गई।

25. पर्यटन एवं संस्कृति:-

(1) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 में जनवरी से मार्च तक लगभग कुल 1,09,65,16,884 पर्यटक आये, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 1,09,35,40,239 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 29,75,645 है। प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में कुल 66.30 करोड़ पर्यटक आये, जिनमें घरेलू पर्यटकों की संख्या 66,09,52,000 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 20,48,000 है।

(2) मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 42 परियोजनाओं हेतु रु0 11432.39 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 19 परियोजनाओं हेतु रु0 1806.76 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवीन स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

(3) ईको-टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटकों को उच्चस्तरीय पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु0 50 करोड़ से 16 परियोजनाओं का विकास कार्य कराया जा रहा है।

(4) प्रदेश के 75 जनपदों में युवा पर्यटन क्लब का गठन। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितम्बर, 2024 युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को विभिन्न ईको पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया गया।

(5) लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य वायुयान सेवाओं की शुरुआत।

- (6) पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वेस्ट टूरिज्म विलेज कॅम्पटीशन-2024 में हेरिटेज कैटेगरी के अंतर्गत गांव पुरा महादेवा, बागपत को पुरस्कृत किया गया।
- (7) पर्यटकों को बेहतर आतिथ्य सत्कार एवं पर्यटन के बहुमुखी विकास हेतु पर्यटन-2022 प्रख्यापित। पर्यटन नीति 2022 के तहत विभागीय पोर्टल पर 1329 पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण। निवेशकों द्वारा प्रदेश में लगभग 31725.39 करोड़ ₹0 निवेश प्रस्तावित।
- (8) 30प्र0 ब्रजतीर्थ विकास परिषद ग्राम राकौली में ईको-रेस्टोरेशन निर्माण कार्य 10171.5 लाख रुपये से किया जा रहा है। इसी प्रकार 30प्र0 चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद के तहत ₹0 4992.62 लाख की धनराशि से देवांगना घाटी में बार्डर पर पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।
- (9) 30प्र0 विंध्यधाम तीर्थ विकास परिषद द्वारा ₹0 12991.85 लाख की धनराशि से बालू घाट पर पक्का स्नान घाट का निर्माण कार्य जारी।
- (10) 30प्र0 नेमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद द्वारा राजघाट एवं दशाश्वमेध घाट के बीच खाली भूमि पर ₹0 5256.57 लाख की धनराशि से घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार 30प्र0 श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद हेतु पांच कोसी, चौदह कोसी एवं चौरासी कोसी परिक्रमा संग्रहालय इण्टर प्रिटेशन सेन्टर का निर्माण किये जाने हेतु ₹0 9253.22 लाख की धनराशि से कुल 16 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 30प्र0 श्री शुक तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत मुजफ्फरनगर में श्रीमद् भागवत कथा केन्द्र का निर्माण ₹0 2482.79 लाख से कराया जा रहा है।
- (11) ट्रेवल ब्लॉगर के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
- (12) दीपोत्सव अयोध्या-छोटी दीपावली के अवसर पर 28 से 30 अक्टूबर, 2024 को राम की पैड़ी पर 25,12,585 दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। काशी में देव दीपावली का आयोजन, मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव एवं ब्रजरज उत्सव का आयोजन।
- (13) पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु पर्यटन पुलिस का गठन।
- (14) बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना-पेइंग गेस्ट तैयार की गई, इसके तहत इकाईयों का पंजीकरण/मान्यता भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा दी जाती है।
- (15) आगरा एवं मथुरा हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर संचालित किये जाने के लिए निजी निवेशक का चयन। इसके अलावा जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु स्थित हेलीपैड को पीपीपी मोड पर संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- (16) 11 पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर विकसित व संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
- (17) प्रदेश के प्राचीन विरासत भवनों को एडाप्टिव री-यूज के अंतर्गत विकसित व संचालित करने हेतु 06 परिसम्पत्तियों के सापेक्ष निजी निवेशक का चयन। इसी क्रम में प्रदेश के 11 विरासत भवनों/परिसम्पत्तियों को अनुकूली पुनः उपयोग के अंतर्गत विकसित व संचालित किये जाने हेतु प्रक्रिया शुरू।
- (18) वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में जीवित प्रमाण पत्र के आधार पर 343 कलाकारों को पेंशन का भुगतान।
- (19) संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 06 महानुभावों को 30प्र0 गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।

(20) भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक ग्राम बटेश्वर आगरा में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण। सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।

(21) भातखण्डे सम विश्वविद्यालय को संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा।

(22) प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु वाद्य यंत्रों का एक-एक सेट प्रदान किया गया।

26. ग्राम्य विकास, नियोजन, दुग्ध, पशुधन व मत्स्य विभाग:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 8.89 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों, 62,389 ग्राम संगठनों एवं 3,271 संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के 97.74 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।

(2) ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी0सी0 सखी योजना के अंतर्गत 50,189 बी0सी0 सखी का प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया। 39,828 बी0सी0 सखी द्वारा कार्य करते हुए ₹0 35,254 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व 95.87 करोड़ ₹0 का लाभांश अर्जित किया गया।

(3) लखपति महिला योजना के अंतर्गत 33 लाख से अधिक दीदियों का चिन्होंकन, 28.97 लाख से अधिक आजीविका रजिस्टर पर प्रगति अंकित, 17.90 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक कुल 36.57 लाख आवास आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 36.32 लाख आवास पूर्ण। शेष निर्माणाधीन।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

(6) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 3.40 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण।

(7) मनरेगा में मानव दिवस सृजन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला सहभागिता 43 प्रतिशत है, 17.04 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार मिला।

(8) मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भौतिक लक्ष्य 2000 लाख मानव दिवस निर्धारित, जिसके सापेक्ष 11 जुलाई 2025 तक 1050.02 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए ₹0 2739.34 करोड़ की धनराशि व्यय एवं 39.13 लाख परिवारों को मिला रोजगार। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(9) प्रदेश के 18,964 अमृत सरोवर पूर्ण। अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(10) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों में से 2,384 सड़कें पूर्ण। शेष मार्ग निर्माणाधीन। पीएमजीएसवाई-4 के तहत ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(11) प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजनाओं में शतप्रतिशत पात्र लाभार्थियों के आच्छादन के उद्देश्य से फेमिली आईडी-‘एक परिवार एक पहचान’ योजना संचालित। राज्य के राशनकार्ड धारक 3.59 करोड़

परिवारों एवं 14.80 करोड़ व्यक्ति की राशनकार्ड संख्या ही उनकी फेमिली आईडी है।

(12) राज्य आय वर्ष 2024-25 में प्रतिव्यक्ति आय रु0 1,07,254 रही, जिसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित रही।

(13) सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार वितरण की व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के 63 चयनित लाभार्थियों को पुरस्कार वितरित। नन्दबाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन। समस्त जनपदों में सहकारी डेयरियों में सर्वाधिक दुग्ध आपूर्ति करने वाले उत्पादक सदस्य को प्रोत्साहन के रूप में नन्दबाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के 154 चयनित लाभार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

(14) प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए कुल 7,706 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 12,36,914 निराश्रित गोवंश संरक्षित। 1,12,631 पशुपालकों को 1,74,880 गोवंश दिये गये। 22,000 से अधिक गो-सेवक कार्यरत। चारा नीति-2024-29 प्रख्यापित।

(15) प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

(16) उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट निवेश के अंतर्गत 38 प्रोजेक्ट के एमओयू हस्ताक्षरित कराये गये हैं। जी0बी0सी0-5 वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 32 इकाइयों के प्रोजेक्ट जी0बी0सी0 से स्वीकृत हैं, जिसके द्वारा रु0 136.23 करोड़ का निवेश होगा।

(17) बकरी पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 739 इकाइयां, वर्ष 2024-25 में 739 इकाइयां कुल 1478 इकाइयां स्थापित तथा भेड़ पालन योजनान्तर्गत 450 इकाइयां स्थापित।

(18) कुक्कुट विकास नीति-2022 के अंतर्गत अब तक 173 इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया। इसमें रु0 373.24 करोड़ का अनुमानित निवेश एवं 19,000 व्यक्तियों को रोजगार का सृजन। अनुसूचित जातियों हेतु बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 16666 बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयां निःशुल्क स्थापित।

(19) उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से देश का सर्वश्रेष्ठ अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी राज्य का पुरस्कार प्राप्त।

(20) वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य उत्पादन 13.31 लाख मी0टन रहा तथा 39000.71 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में संचालित मनरेगा कन्वर्जन्स के माध्यम से सुधारे गये ग्रामसभा के पट्टे के 1328.335 हे0 तालाबों में 1,580 मत्स्य पालकों को वर्ष 2024-2025 तक प्रथम वर्ष निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक पर अनुदान उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अब तक 2,128 हे0 तालाबों का निर्माण।

(21) निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 1,368 नाव वितरित की गई। 2,209 मछुआ आवास का निर्माण कर मछुआरों को लाभान्वित किया। 1,11,308 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध। फरवरी 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट में अब तक कुल 69 निवेशकों के रु0 855 करोड़ के प्रस्ताव निवेशकों द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित।

27. वन एवं पर्यावरण:-

(1) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत 09 जुलाई, 2025 को वन

एवं वन्य जीव विभाग सहित 26 राजकीय विभागों की सहभागिता से प्रदेश में 37.21 करोड़ पौध रोपित किये गये। इस प्रकार विगत 08 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौध रोपित किये गये।

(2) माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्बन फाइनेंसिंग के अंतर्गत अयोध्या में 07 कृषकों को अर्जित/उत्पादित कार्बन क्रेडिट की धनराशि वितरित की। 01 जुलाई से 07 जुलाई, 2025 (वन महोत्सव) के बीच सरकारी अस्पतालों में जन्में 18348 नवजात शिशुओं को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ एक पौधा भेंट के रूप में उनके अभिभावकों को दिया गया।

(3) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत वर्ष 2025 के आयोजित महाकुम्भ सफल आयोजन की स्मृति में 'त्रिवेणी वन' की स्थापना।

(4) जनजातीय गौरव के प्रतीक 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुण्डा जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 19 वन प्रभागों के 27 स्थलों पर 'एकलव्य वन' की स्थापना।

(5) प्रदेश के समस्त निकायों में पौध रोपण के माध्यम से शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए हरित फेफड़े (ग्रीन लंग्स) सृजित करने हेतु ऑक्सी वन की स्थापना।

(6) पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए नारी शक्ति द्वारा 'शक्ति वन' की स्थापना एवं वीर सेनानियों के शौर्य तथा महिलाओं के सम्मान हेतु 'सिंदूर वाटिका' की स्थापना। नदियों के पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय नदी गंगा व सहायक नदियों के तटों पर तथा जलागम क्षेत्रों में पवित्र धारा वृक्षारोपण।

(7) भारतीय वन संरक्षण देहरादून द्वारा निर्गत भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट -2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण व वृक्षावरण 23437.53 वर्ग किलोमीटर (9.73 प्रतिशत) से बढ़कर 23996.72 वर्ग किमी0 (9.96 प्रतिशत) हो गया है।

(8) भारतीय वन संरक्षण देहरादून द्वारा वर्ष-2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वनावरण व वृक्षावरण की वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है।

(9) दुधवा टाइगर रिजर्व/दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ईको पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु 25 नवम्बर, 2024 को लखनऊ से पलिया तक हवाई सेवा का शुभारम्भ किया गया।

(10) गोरखपुर के कैम्पियरगंज रेंज में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 06 सितम्बर, 2024 को एशिया के प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र का उद्घाटन किया गया। 06 राज्य गिद्धों को लाया जा चुका है।

(11) वन विभाग के नवचयनित 701 वन दरोगाओं एवं 647 नवचयनित वन रक्षकों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित।

28. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास:-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक विजेताओं की सीधे राजपत्रित पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें 05 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, 01 खिलाड़ी को यात्री/माल कर अधिकारी एवं 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 479 कुशल खिलाड़ियों की आरक्षी पद पर नियुक्ति। शासकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

(2) प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं

में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। वितीय वर्ष 2024-25 में कुल 25 खिलाड़ियों को ₹0 24.13 करोड़ वितरित।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति-2023 लागू। एक जिला एक खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेन्टर की स्थापना। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना के लिए ₹0 38853.75 लाख की स्वीकृति धनराशि से निर्माण कार्य प्रगति पर। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का व्यापक विकास वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा ₹0 315.48 करोड़ की लागत से कराया जायेगा।

(4) ग्रामीण स्तर पर अब तक कुल 106 स्टेडियम/मल्टीपुर्पज हॉल स्थापित। खेलो इण्डिया के अंतर्गत 21 परियोजनाएं स्वीकृत, 17 पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 20 परियोजनाओं में से 19 पूर्ण। प्रदेश में पंचायत स्तर पर गठित 80 हजार युवक/महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया। विवेकानन्द यूथ अवार्ड में मंगल दलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः 01 लाख, 50 हजार एवं 25 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है।

(5) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 08 वर्षों में 14.14 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.39 लाख युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।

(6) प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप योजना/अप्रेन्टिस योजना की ब्राण्डिंग करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को भत्ते के साथ उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अप्रेन्टिस प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ₹0 1000 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह की दर प्रतिपूर्ति की जा रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 39,000 से अधिक प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों व एमएसएमई में प्रथम बार 07 से 15 दिवस की ऑन-जॉब ट्रेनिंग तथा 69000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए गत 05 वर्षों 05 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

(7) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अवधारणा के अनुसार प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत 63,000 छात्र-छात्राओं को मिशन प्रेरणा एवं प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से रोजगारोन्मुख व्यावसायिक/स्किल के कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

29. सूचना विभाग:-

(1) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) 30प्र0 फिल्म बन्धु/फिल्म विकास परिषद हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर-21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण गतिमान।

(3) लोक भवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार। विभाग द्वारा

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल का शुभारम्भ।

(4) महाकुम्भ-2025 प्रयागराज का विभिन्न संचार माध्यमों प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, विज्ञापन, होर्डिंग, एलईडी वैन, सोशल मीडिया, गीत नाट्य आदि के माध्यम से वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया।

30. खादी तथा ग्रामोद्योग:-

(1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 6,440 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,22,883 लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 28,177 इकाइयां स्थापित करते हुए 2,80,635 लोगों को रोजगार। पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक कुल 8,449 इकाइयों को लाभान्वित किया गया। पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत 1,051 संस्थाओं के 4,26,025 कर्त्तिन एवं बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

(3) मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 1,114 इकाइयों की स्थापना तथा 3,342 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(4) माटीकला टूलकिट्स वितरण योजनान्तर्गत 16,307 लाभार्थियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिलाते हुए विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण। 5,832 कर्त्तिनों को निःशुल्क सोलर चर्खे, 2,029 अदद दोना पतल मेकिंग मशीनों का निःशुल्क वितरण, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 6,087 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध। 2024 व्यक्तियों को पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन का निःशुल्क वितरण, जिससे 6,072 व्यक्तियों को रोजगार।

31. भूतत्व एवं खनिकर्म:-

(1) खनिज सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण के लिए इन्टीग्रेटेड यूनीफाइड सिंगल इण्टर फेस "UP Mines Mitra" पोर्टल विकसित। मुद्रित परिवहन परिपत्र के स्थान पर ई-परिवहन प्रपत्र की व्यवस्था लागू।

(2) माइन मित्रा पोर्टल पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग 30प्र० को डिजिटल इण्डिया एवॉर्ड-2022 (प्लैटिनम एवॉर्ड), 25वाँ नेशनल ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2022 (गोल्ड एवॉर्ड) एवं 19वाँ सीएसआईएसआईजी ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2021 प्राप्त हुआ।

(3) जन सामान्य हेतु ऑनलाइन नागरिक/किसान सेवाएं:- जिनमें कृषि भूमि, निजी भूमि, साधारण मिट्टी, भवन/विकास परियोजनाओं से निकले उपखनिजों के निस्तारण, भण्डारण लाइसेंस आदि के लिए 09 सेवाएं प्रदत्त। कुल 3,39,379 आवेदन निस्तारित।

(4) एकीकृत खनन निगरानी तंत्र के अंतर्गत कुल क्रियाशील 57 चेकगेट, 1,50,829 माइन टैग लगे वाहन और कुल निर्गत नोटिस 1,93,344 के सापेक्ष धनराशि ₹0 552.24 करोड़ की वसूली।

32. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-

(1) राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को एकीकृत निःक्षय दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

(2) प्रदेश में निःक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को ₹0 500 प्रतिमाह के स्थान पर 01 नवम्बर, 2024 से ₹0 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। जून, 2025

तक 30.75 लाख क्षय लाभार्थियों को रु0 972.06 करोड़ का भुगतान किया गया। 73 हजार से अधिक निक्षय मित्रों ने 4.45 लाख क्षय रोगियों को 6.50 लाख पोषण पोटली प्रदान की।

(3) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत जून, 2025 तक कुल 5.32 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर। जिसमें आयुष्मान भारत व 67.11 लाख लाभार्थियों का निःशुल्क चिकित्सा उपचार। 22870 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर साप्ताहिक आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन। प्रदेश में अब तक 3544 प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं।

(4) प्रदेश में '108' एम्बुलेंस सेवा की 2200 एवं '102' एम्बुलेंस सेवा संचालित। 375 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित हैं। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अंतर्गत 54 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन। फरवरी 2019 से अब तक 1.68 करोड़ रोगी उपचारित।

(5) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। 74 सीटी स्कैन की सेवाएं संचालित। 1153 चिकित्सा इकाईयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स सर्टीफिकेशन प्राप्त।

(6) यूनिसेफ के सहयोग से आकांक्षात्मक ब्लॉकों में प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है।

(7) डेंगू मलेरिया जैपनीज़ इन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों पर पूर्ण नियंत्रण। इन रोगों की जांच एवं उपचार हेतु उचित सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से दी जा रही हैं। ए0ई0एस0 रोगियों में 84 प्रतिशत एवं मृत्यु संख्या में 99 प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 91 प्रतिशत एवं मृत्यु में 98 प्रतिशत की कमी आयी है।

(8) 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 24,43,748 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में 47,72,033, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 10,568 शिशुओं का उपचार।

(9) महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय का लोकार्पण मा0 राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कर-कमलों से 01 जुलाई, 2025 को किया गया। प्रदेश में 216 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 154 होम्योपैथिक, 25 यूनानी कुल 395 चिकित्सालयों के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर। प्रदेश में 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर) शतप्रतिशत क्रियाशील। 16 जनपदों में 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय संचालित।

(10) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कॉलेज, 02 यूनानी कॉलेज, 09 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित। वर्ष 2024-25 हेतु पूर्व में अनुमोदित 322 सीटों से बढ़ाते हुए 588 सीटों पर एनसीआईएसएम भारत सरकार द्वारा प्रवेश की स्वीकृति।

(11) अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण, बरेली में युनानी महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण। वाराणसी में नेचुरोपैथी केन्द्र एवं पंचकर्म हट्स, जौनपुर में 30 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय, मेरठ में 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर।

(12) महाकुम्भ मेला प्रयागराज-2025 हेतु तीर्थयात्रियों, कल्पवासियों व कार्यरत अधिकारियों,

कर्मचारियों एवं महानुभावों को आवश्यकतानुसार त्वरित अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेला क्षेत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न स्तरों के कुल 23 चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं, जिनमें प्राथमिक उपचार से लेकर बहुविशेषज्ञता परामर्श, माइनर व मेजर सर्जरी, प्रसव सुविधाएं, आकस्मिक चिकित्सा इत्यादि सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

(13) "एक जिला एक मेडिकल कॉलेज" नीति के अंतर्गत प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित।

(14) मिशन निरामयः के अंतर्गत 300 संस्थाओं में नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित।

33. विशेष:- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(3) 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(4) वर्ष 2024 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 25,12,585 दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

(5) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

(6) गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।

(7) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(8) कौशल विकास नीति को लागू करने तथा सेवायोजित कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य।

(9) ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह-2023 के विभिन्न श्रेणियों के एवाइर्स में प्रदेश को 06 श्रेणियों में प्रथम स्थान तथा 02 श्रेणियों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

(10) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(11) 06 एक्सप्रेस-वे एवं 04 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील, 01 निर्माणाधीन, उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ सर्वश्रेष्ठ।

(12) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम।

(13) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 37.21 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रोपण।

(14) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत देश में मिलियन प्लस शहरों में यूपी के कुल 08 शहरों ने स्थान बनाया। स्वच्छता में लखनऊ देश में तीसरे स्थान पर।

(15) देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

(16) माइन मित्रा पोर्टल पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को डिजिटल इण्डिया अवॉर्ड-2022 (प्लैटिनम अवॉर्ड), 25वाँ नेशनल ई-गवर्नेंस अवॉर्ड-2022 (गोल्ड अवॉर्ड) एवं 19वाँ सीएसआईएसआईजी ई-गवर्नेंस अवॉर्ड-2021 प्राप्त हुआ।

(17) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर

प्रदेश अग्रणी।

(18) पीओएमओ स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेण्डर को सर्वाधिक ऋण देकर देश में प्रथम।

(19) एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(20) ईज ऑफ़ इडिंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।

(21) ई-प्रॉशीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

.....

